

**Speed post / त्रिवि डाक****Violation letter / उल्लंघन पत्र**

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय  
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhapura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-  
2695202

संख्या: MCDR-MiFL0PbZn/3/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक: /10/2023

प्रेषित: खान एजेंट,

मोहनपुर-जोधपुरा चुना पत्थर खान,

मेसर्स: अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड,

गाँव: मोहनपुर, पोस्ट एण्ड तहसील: कोटपुतली,

जिला: कोटपुतली (राजस्थान), पिन: 303108.

(e-mail: [bhupendra.khorpia@adityabirla.com](mailto:bhupendra.khorpia@adityabirla.com) , [utcl-kcw.mines@adityabirla.com](mailto:utcl-kcw.mines@adityabirla.com) )

विषय: राजस्थान राज्य के कोटपुतली जिले में स्थित आपकी मोहनपुर-जोधपुरा चुना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 12/10/2023 and 13/10/2023 by undersign in presence of Sri Durgesh Menaria, Mine Manger and Sri Partha Sarathi Mishra, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
<b>11(1)</b>	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to Modification of Mining Plan approved on 17/09/2020 to the extent given below for the year 2022-23:</p> <p>(1) The width and height of the benches are proposed to maintain 12 to 20 meters and 10 meters respectively, whereas during inspection it is observed that width and height of benches are not maintained as per proposal at places.</p> <p>(2) Retaining wall of 175 mts has been constructed against the proposal of 500 meters.</p> <p>(3) Dumping of waste has been carried out over non-approved area i.e Eastern side of waste dump 1A, Northern side of waste dump 1-B and Eastern side of dump-3.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्युरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर